## एक नजर में

### अनुभूति कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्राओं का जागरूकता शिविर

**दमुआ।** वन परिक्षेत्र दमुआ के अन्तर्गत कांगला बीट में नदी के पास अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, हम है धरती के दूत थीम के अन्तर्गत उपस्थित छात्राओं को प्रशिक्षित करते हुये विभिन्न जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर जगदीश प्रसाद शिवहरे ;सेवानिवृत्त सहायक वन रक्षकद्ध द्वारा प्रकृति पथ पर वनों, वन प्राणी एवं पर्यावरण के महत्व तथा संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया, प्रकृति की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई गई, प्रकृति जीवों की भूमिका, पक्षी दर्शन पारिस्थिति की तंत्र के संतुलन के बारे में भी जानकारी दी गई,इस दौरान वनों से सम्बंधित चित्रकला प्रतियोगिता में रूचिका कलीवार प्रथम, दिक्षा गौतम द्वितीय, अर्चना वरवड़े और निबंध प्रतियोगिता में विधि कैथवास प्रथम, रोशनी पाल द्वितीय, शुभव राव तृतीय रहे इस दौरान षा.उ.मा.विद्यालय नन्दन, शा.कन्या हाई स्कूल कालीछापर का स्टाफ जिसमें विनय कुमार सिंह, सपना चौधरी, वर्षा शिन्दे,खुशाल बारंगे,अनीश कुरैशी,मनीषा तिनवानी उपस्थित रहे। उद्बोधन की श्रंखला में एसडीओ विजेन्द्र खोबरागडे, रेंजर धर्मेन्द्र शर्मा, जनपद सदस्य कपूरी लोबो, पत्रकार रमेश कुमार राही और शिव यादव ने अपने विचार व्यक्त किये, कार्यक्रम का संचालन डिप्टी रेंजर गोप जी.एन तिवारी ने किया, कार्यक्रम को सफल बनाने में डिप्टी रेंजर एस.डी.कुमरे, विनोद परतेती, सुरेश सरयाम तथा वन विभाग के स्टाफ की भूमिका रहीं ।

### गुरु महाराज दंडवत प्रणाम करते हुए 410 किलोमीटर की मैहर यात्रा पर निकले

**मोहखेड़।** ग्राम पंचायत रंगारीतलाब के एक छोटे से गांव बांड़ा में एक अनोखी श्रद्धा का उदाहरण देखने को मिला, जहा आदिवासी समाज के गुरू महाराज ने मां शारदा दरबार मैहर के प्रति अपनी भक्ति को एक विशिष्ट रूप से प्रकट करने का निर्णय लिया है। गुरु महाराज ने सोमवार को अपने बांड़ा से यह यात्रा प्रारंभ की.ग्रामीणो ने पुष्प हार पहनाकर भव्य स्वागत कर विदाई दी.बता दे बांड़ा से मैहर में स्थित मां शारदा दरबार तक की 410 किलोमीटर की दूरी दंडवत प्रणाम करते हुए तय करेंगे ।यह यात्रा वह 50 दिन मे पूरी करेंगे ।यह यात्रा न केवल शारीरिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दंडवत प्रणाम की यह विधि, जिसमें श्रद्धालु पूरे शरीर को भूमि पर लेटकर प्रणाम करता है और फिर उतनी ही दूरी आगे बढ़ता है, भारतीय संस्कृति में गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है ।गुरु महाराज की यह अनूठी यात्रा स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जो उनके इस कठिन संकल्प और अटूट श्रद्धा की सराहना कर रहे हैं। यह यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि समाज में श्रद्धा और समर्पण की भावना को भी प्रेरित करती है।

### जिला माली समाज विकास परिषद के नेतृत्व में महिला कार्यकारिणी द्वारा मनायी गई सावित्री बाई फुले की जयंती

**छिंदवाड़ा।** दिन रविवार को जिला माली समाज विकास परिषद छिंदवाड़ा के तत्वाधान में महिला कार्यकारिणी द्वारा देश समाज का गौरव एवं देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक सावित्री बाई फुले की जयंती माली समाज भवन में मुख्य रूप से महिला अतिथि श्रीमति रत्नमाला पिसे, श्रीमती निरूपमा ब्रम्हे, श्रीमती जानकी बाई घोरसे, श्रीमति वैशाली मटकर, श्रीमति नीतू सराठे, श्रीमती सोहिता श्रीवास्तव, श्रीमती नीता वर्मा, श्रीमति स्वाति चैरसिया, श्रीमति संगीता आलोनकर सहित कार्यकारिणी सदस्य अनिता चरपे, लक्की चोरकर, शुभांगी घोरसे, वर्षा भुसानकर, माधुरी सेमेकार, लक्ष्मी दास, संगीता चरपे, सोनाली भगत, रजनी सातपुते, निशा कारटे, मनोरमा सातपुते, गंगा चरपे, सुमनबाई भुसानकर, रेखा घोरसे, रंजना सातपुते, सुनीता घोरसे की उपस्थिति में उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित कर उनके द्वारा किये गये समाज सुधार एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। इस अवसर नन्हे बच्चो द्वारा सावित्री बाई फुले जी के जीवन चरित्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुती दी ।कार्यक्रम पश्चात् सभी मुख्य अतिथियों को शाल, श्रीफल एवं शील्ड से सम्मानित किया और बच्चों को पुरूस्कार दिये गये ।मंच संचालन आकाशवाणी की श्रीमति स्वाति चैरसिया द्वारा किया गया ।आभार प्रदर्शन श्रीमती लक्की चोरकर द्वारा किया गया ।

कार्यवाही — जुआरियों का निकाला जुलुस, पहुंचे जेल

# छिंदवाड़ा एसपी स्क्वॉड ने मारी रेड, 14 जुआरियों से जप्त हुए 93 हजार नगद

**नवभारत न्यूज**
**परासिया, 5 जनवरी, एसपी स्क्वॉड द्वारा परासिया के मयूर वन में संचालित जुआ फड़ पर रेड कार्यवाही की गई है। छिंदवाड़ा कोतवाली, देहात और कुंडीपुरा थाने की सयुंक्त टीम द्वारा जुआँफड़ पर छापेमार कार्यवाही कर पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया।**

जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने 93हजार नगद, 15 मोबाइल ओर 52ताश के पत्ते जप्त किए है। पकड़े गए जुआरी में एक नगर परिषद न्यूटन का निर्वाचित पार्षद भी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार परासिया थाना अंतर्गत मयूर वन में पुलिस द्वारा मौके से घनश्याम बेस पिता उमा सिंह बेस 52 निवासी चौरई, मंजीत सिंह पिता मुन्ना सिंह 38 निवासी परासिया,शेख वाशिम पिता शेख इमाम 38 निवासी न्यूटन थाना परासिया, मनोज पिता जग्गू यादव 33 निवासी चनिया कला चौरई, रेहान पिता आविद खान 21 निवासी परासिया,आकाश पिता मिश्रीलाल नागवंशी 29 निवासी परासिया, मोहम्मद कैफ पिता इनायद खान 25 निवासी चिंदी थाना तमिया, हरि प्रसाद पिता इंदर इनवाती 53 निवासी छिंदी थाना तमिया, असलम पिता आकिल खान 52 निवासी जुन्नारदेव,भागीरथी पिता माखनलाल यदुवंशी 44 निवासी सुकरी जुन्नारदेव, योगेश पिता नेमसिंह रघुवंशी 50 निवासी बाबू लाइन परासिया,अक्षय पिता कुंदन सिंह डागोर उम्र 30 निवासी बाबू लाइन परासिया, लडू पिता राकेश बेले उम्र 22 निवासी रावनवाड़ा थाना शिवपुरी, शरीफ पिता शब्बीर उम्र 48 निवासी परासिया को गिरफ्तार किया गया।

### देर शाम थाने से न्यायालय तक निकाला जुलुस

परासिया पुलिस ने देर शाम जुआ फड़ में जुआ खेलते पकड़ाए जुआरियों का जुलूस निकाला। थाने से पुलिस जुआरियों को पुलिस वेन में लेकर निकली, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। जिसके चलते पुलिस जुआरियों को पैदल यात्रा करते हुए न्यायालय पहुंची। लंबी सुनवाई के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।

### उधर पार्टी, इधर कार्यवाही

जिला पुलिस अधीक्षक को परासिया में संचालित जुआ फड़ की लंबे समय से जानकारी थी, रविवार के दिन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कोयलांचल के सभी पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। जिसके चलते परासिया के सभी थाना प्रभारी और बड़े अधिकारी पार्टी में व्यस्त रहे। इसी समय एसपी स्कायड की विशेष टीम ने परासिया में रेड कार्यवाही करते हुए बड़े पैमाने में जुआ फड़ से नगदी समेत 14जुआरियों को पकड़ा। बताया तो यहां तक जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में जुआरियों ने परासिया के नामी फड़ संचालक का नाम लिया है, पुलिस को अब उसकी तलाश है।

## दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर मैदान में उतरा नगरीय अमला

**नवभारत न्यूज**
**परासिया, 5 जनवरी, इंदौर में दूषित पेयजल आपूर्ति से हुई दर्जनों मौत की पुनरावृति न हों, जिसे ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों का अमला अक्किनेनी एक्शन मोड में है।**

नगर पालिका डोंगर परासिया द्वारा वार्ड क्रमांक 9 में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शिकायत स्थल पर अध्यक्ष विनोद मालवीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी भरत गजबे एवं नगर पालिका अमला द्वारा निरीक्षण किया गया। शिकायत में नलों में गंदा पानी आने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर नगर पालिका का हमला द्वारा निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में नलों से साफ पानी आ रहा है स्थानीय निवासियों द्वारा आवासीय क्षेत्र से लगे हुए नाले की सफाई कार्य हेतु कहा गया जिस पर अध्यक्ष द्वारा तत्काल सफाई कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। पानी की सैंपलिंग करवाई गई एवं जांच हेतु भेजा गया है। अध्यक्ष ने कहा कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार से दूषित पानी का सामना न करना पड़े एवं नगर पालिका पानी सप्लायर को आदेशित किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए अगर लापरवाही की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।

## सारंगबिहरी के कई घर के नलों में आ रहा काम पानी, ग्रामीण परेशान

**नवभारत न्यूज**
**मोहखेड़, 5 जनवरी, जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंगबिहरी में परासिया के मुख्य ठेकेदार द्वारा यह काम भांडखापा के पेटी कांट्रेक्टर ठेकेदार का काम देकर नल जल पाइपलाइन विस्तार कार्य दिया गया.जिसमे पेटी ठेकेदार द्वारा नियमो को दरकिनार रखते पाइपलाइन बिछाने के साथ हर घर नल कनेक्शन विस्तार काम किया गया.**

इसी दौरान वार्ड नंबर 14-15 में वाल चेंबर नीचे की तरफ बनाने से ऊपरी क्षेत्रो के घरो के नलो में ग्रामीणो को पर्याप्त पेयजल मुहैया न होने ग्रामीणजनो में आक्रोश उठ रहा है।साथ पाइपलाइन बिछाने की खुदाई में लापरवाही बरती गयी.ग्रामीणो ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों के पास की थी. जिसके बाद पीएचई विभाग के अधिकारियों ग्राम में पहुचे जहा घरो मे कम पानी पहुच रहा है और पाइपलाइन कम खुदाई मे बिछी वहा मुआयना अपनी औपचारिकता निभाकर इतिश्री कर ली गयी.किंतु ग्रामीणो की समस्या जस की तस बनी हुई.इधर परासिया के मुख्य ठेकेदार दीपक मालवी का कहना है कि अभी हमारा काम चल रहा हम इसे दिखवा लेते है।

## श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह की तैयारियां जोरों पर, बन रहा भव्य पंडाल

**नवभारत न्यूज**
**मोहखेड़, 5 जनवरी, ग्राम सारंगबिहरी के चमत्कारिक हनुमान मंदिर के समीपस्थ खेत में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।भागवत समिति के सदस्यों द्वारा साफ-सफाई की गई तथा श्रद्धालुओं ने भी उत्साहपूर्वक श्रमदान कर अभियान को सफल बनाया।**

इसी क्रम में समिति द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 8 जनवरी से चमत्कारिक हनुमान मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा समिति ने आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने की अपील की है।

## कोलूखेड़ा, बेलगांव में आबकारी विभाग की छापामार कार्यवाही

**नवभारत न्यूज**
**परासिया, 5 जनवरी, परासिया क्षेत्र के ग्राम कोलूखेड़ा और बेलगांव के जंगलों मे आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में महुआ लाहन और हाथ भट्टी शराब जप्त की गई।**

आबकारी ने कोलूखेड़ा के जंगल झाड़ियों मे अलग-अलग स्थानों मे छुपाकर रखे 440 किलो महुआ लहान बरामद किया गया जिसे मौके पर सैंपल लेकर शेष लाहन नष्ट किया गया। इसके बाद बेलगाव स्थित जंगल मे नाला किनारे अलग अलग स्थानों मे झाड़ियों मे छुपाकर रखे 400 किलो महुआ लाहन एवं कुप्पी मे रखी 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई। कार्यवाही मे अवैध शराब निर्माण के अड्डों से 840 किलो लाहन, सूखा महुआ तथा 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भी बरामद किया गया। न्यूटन क्षेत्र मे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की जांच के दौरान वार्ड नंबर 11 अंतर्गत एक मकान की तलासी लेने पर 02 प्लास्टिक की बोतल मे 04 लीटर हाथ भट्टी मदिरा कर प्रकरण कायम किया गया। कार्यवाही मे कुल 05 प्रकरण कायम कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क,च के तहत प्रकरण कायम किया गया। कार्रवाई में वृत प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक जीत सिंह धुर्वे, आरक्षक ओम नारायण बाम्हने ,दीपाली झारिया का योगदान रहा।

**Presiding Officer:- शैलेन्द्र उइके**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(MIC SUC/0000027/2025)
उर्मिला बुनकर.....वादी
Vs
सुशीला बाई.....प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक :- 25/02/2026

प्रेषिती-
(1)सर्व साधारण पता- सर्व साधारण जिससे इसका संबंध हो यह कि प्रार्थी उर्मिला बुनकर ने आपके विरूद्ध संमस के लिए बाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें 7 यह आज तारीख 05 January 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

**न्यायाधीश**
**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड**
**परासिया जिला छिंदवाड़ा**

कृपया ध्यान देंन्यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

## आज गांधी गंज से निकलेगी इंदिरा ज्योति यात्रा

**छिंदवाड़ा।** देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व से जन-जन को अवगत कराने हेतु इंदिरा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का शुभारंभ दिनांक 06 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को गांधी गंज से निकाली जाएगी। यात्रा के पूर्व गांधी गंज में एक सभा का आयोजन किया जाएगा जिसे कांग्रेस के वक्तागण सम्बोधित करेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण दोपहर 12.30 बजे इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क स्थित इंदिरा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत इंदिरा पथ होते हुए गांधी गंज सभा स्थल पहुंचेंगे। सभा सम्बोधन के पश्चात इंदिरा ज्योति यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा जो शहर के निर्धारित मार्गों से होते हुए नरसिंहपुर के लिए प्रस्थान करेगी।

**भारतीय खाद्य निगम**
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in
क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2025/36 दिनांक: 06.01.2026

**निविदा आमंत्रण सूचना**

मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है।

किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

**महाप्रबंधक (क्षेत्र)**

**सम्पदा अधिकारी न्यूटन इकलेहरा उपक्षेत्र**
**लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली)अधिनियम 1971अंतर्गत वेकोलि पेंच एरिया परासिया,जिला छिन्दवाड़ा**

**आवेदक: क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, वेकोलि,पेंच एरिया परासिया विरूद्ध अनावेदक: श्री अंकित सल्लाम, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- परासिय पोस्ट / तहसील- परासिया, जिला -छिंदवाडा (म.प्र.) 480441 मो.नं.9479591927**

प्रकरण क्र.-.WCL/Pench/Estate Officer /NESA/2025/700 दिनांक-28/08/2025

**लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली)अधिनियम 1971 की धारा 5 की उपधारा (1)के अधीन आदेश**

अधोहस्ताक्षरी उपक्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर न्यूटन इकलेहरा उपक्षेत्र, वेकोलि पेंच क्षेत्र परासिया में कार्यरत है । लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पद सम्पदा अधिकारी घोषित कर नोटिफिकेशन किया जा चुका है । इस अधिनियम के तहत सम्पदा अधिकारी के रूप में कार्यवाही करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को अधिकार प्राप्त है । अतः मैं इस बात से समाधान करता हूँ कि नीचे वर्णित कारणों की वजह से श्री अंकित सल्लाम, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) अनुसूची में उल्लेखित लोक परिसर के अप्राधिकृत रूप से अधिभोगी हैं । अतः मैं अधोहस्ताक्षरी इस बात से समाधान करता हूँ कि नीचे वर्णित कारणों से आपको ग्राम- जाटाछापर तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा में स्थित, वेकोलि वेस्टर्न कोलब फ़ील्ड्स लिमिटेड ,पेंच क्षेत्र, के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा न.483 रकवा 1.720 हेक्टयर भूमि जो पूर्व मे शावालिस कोल कंपनी की थी तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चातब Coal Mines (Nationalization) Act -1973 के तहत कानूनन जिसका भूस्वामित्व वेस्टर्न कोल्ड फ़ील्ड्स लिमिटेड का हुआ, उक्त भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर उक्त भूमि पर आपके द्वारा अवैध निर्माण कार्य किये जाने बावद अधोहस्ताक्षरी द्वारा फार्म ''ए'' नोटिस ज़ारी किया गया है । अनुसूची में उल्लेखित लोक परिसर के अप्राधिकृत रूप से अभियोजित है ।

REASONS (कारण) 1.यह प्रकरण लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत अनावेदक द्वारा WCL पेंच क्षेत्र परासिया (जिसे आगे कम्पनी शब्द से संबोधित किया जा रहा है ) कि ग्राम - जाटाछापर भूमि खसरा न.483 रकवा 1.720 हेक्टयर भूमि वर्ष 1980-81 के अधिकार अभिलेख के अनुसार कोल कम्पनी के नाम दर्ज हैं जो कम्पनी को कोयला खदान राष्ट्रीय कारण अधिनियम 1972 के अनुसार समाप्त पूर्व कोल कम्पनी कि सम्पति खदानें एवं खदानों से संबधित समस्त चल-अचल सम्पति को भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा अधिग्रहण कर उक्त भूमि WCL पेंच एरिया को प्रदान किया गया हैं तथा आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कंपनी का वैधानिक हक एवं अधिकार है तथा उक्त भूमि कम्पनी के स्वमित्व एवं अधिपत्य की है । 2.अनावेदक के द्वारा कम्पनी की उक्त भूमि पर पुराने भवन को तोड़ कर नए भवन का निर्माण किया जा रहा हैं । जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम के अंतर्गत फॉर्म ''A'' का नोटिस WCL/Pench/Estate Officer /NESA/2025/700, दिनांक-28/08/2025 को जारी किया गया । जिसमे अनावेदक को दिनांक 04/09/2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। अनावेदक उक्त प्रकरण में निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं हुए । जिस कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा द्वितीय नोटिस जारी किया गया । जिसमे उन्हें पुनः दिनांक-13/09/2025 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया । जिस पर अनावेदक उपस्थित हुए । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकरण के सबंध में उनसे पूछा गया कि आप सम्बंधित प्रकरण में क्या जानकारी देना चाहते हैं? जिस पर अनावेदक उपस्थित हुए एवं प्रकरण से सम्बंधित अग्रलिखित जानकारी प्रस्तुत किया । -(1) विकास खंड अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन, जाटाछापर में नये भवन निर्माण बावद सरपंच, ग्राम पंचायत, जाटाछापर द्वारा पत्र क्र.P/Q/16/25, दि.15.05.2025 महाप्रबंधक, पेच क्षेत्र, वेकोलि को द्वारा प्रेषित किया गया कि खसरा क्र.483 भूमि पर निर्माण न रोका जावे । -(2) क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक वेकोलि पेंच क्षेत्र के पत्र क्र. वेकोलि/पेंच/कावि./अनापत्ति/4015/16,दि.01.12.2016 में ग्राम पंचायत जाटाछापर द्वारा किये जाने वाले शासकीय योजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में इस शर्त पर कि ''कम्पनी सम्पत्ति के स्वामित्व पर कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा'' प्रबंधन द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, उल्लेखित किया गया था । -(3) मौखिक रूप से बताया कि नये भवन का निर्माण लगभग 01 वर्ष से किया जा रहा है । -(4) ग्राम पंचायत जाटाछापर द्वारा प्रेषित पत्र क्र.291/16,दि.23.11.2016 अगली तिथि में प्रस्तुत करुँगा । 3.यह कि उन्हें पुनः दिनांक-23/09/2025 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर अनावेदक अनुपस्थित रहे । 4. यह कि उक्त दिवस को अनावेदक अनुपस्थित रहे जिस कारण अधोहताक्षारी द्वारा प्रकरण में अनावेदक की उपस्थिति हेतु दिनांक 01/10/2025 को प्रकरण नियत किया गया। अनावेदक निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं हुए । उक्ताशय का आपके द्वारा आपकी अनुपस्थिति की न ही कोई सूचना दी गई न ही कोई संतोष जनक जवाब दिया गया। अतएव उनका अवसर समाप्त कर प्रकरण अंतिम आदेशार्थ नियत किया गया । 5. यह कि प्रकरण में पूर्व में दिए गए दस्तावेजों के अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम - जाटाछापर भूमि खसरा न.483 रकवा 1.720 हेक्टयर भूमि वर्ष 1980-81 के अनुसार उक्त भूमि वेस्टर्न कोल फील्ड्स पेंच क्षेत्र परासिया के स्वामित्व की है एवं भारत का राजपत्र कोल माइंस (नेशनालैजेशन) एक्ट 1973 के अनुसार पूर्व कोल माइंस मालिकों (शॉ वालेस कोल कंपनी ) द्वारा अर्जित की गई भूमि एवं उस पर अब स्थित सभी संरचनाओं के सभी स्वत्व एवं स्वामित्व एवं सम्पूर्ण अधिकार, सभी विलन्गमों से विमुक्त होकर कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम -1973 की धारा 3(1) के तत्कालीन प्रभाव से भारत सरकार में पूर्णरूपेण विहित हो गए हैं । 6. मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया फॉर्म-ए में जारी नोटिस के अनुसूची में वर्णित भूमि जो जाटाछापर में स्थित है, उक्त आवेदक संस्था की कम्पनी भूमि जो लोक-संपत्ति है, जिस पर अनावेदक अधिपत्य बनाए रखा है। जिसके उपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनावेदक के विरुद्ध लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत फॉर्म-बी जारी करने हेतु आदेश दिया। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है । अतः मैं सुरेन्द्र मोहन जायस्वाल, सम्पदा अधिकारी, न्यूटन इकलेहरा उपक्षेत्र, वेकोलि पेंच क्षेत्र,परासिया लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली)अधिनियम 1971 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद द्वारा उक्त श्री अंकित सल्लाम, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.),जो उक्त कंपनी भूमि पर अधिभोग रखे हुए हैं को आदेश देता हूँ कि इस आदेश की तामील की तारीख से एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य रोक कर उक्त कंपनी भूमि पर को खाली कर कंपनी प्रबंधन को सौंपें। इस आदेश का ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन करने से इंकार करने की दशा में अनावेदक श्री अंकित सल्लाम, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- परासिया को यदि आवश्यक हो तो ऐसे बल का प्रयोग करके, जैसा कि आवश्यक हो, बेदखल किया जावे।

अनुसूची ग्राम- जाटाछापर तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा में स्थित कंपनी भूमि जो खसरा न.483 रकबा 1.720 हे. भूमि, तहसील - परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न अधिकारीयों को प्रेषित किया जावे । 1. महाप्रबंधक, पेंच क्षेत्र. परासिया । 2.उपविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी ,परासिया 3.क्षेत्रीय योजना अधिकारी, पेंच क्षेत्र परासिया-उपरोक्त कंपनी भूमि को कब्ज़े/अधिग्रहण में लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें । 4. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, पेंच क्षेत्र. परासिया- उपरोक्त कंपनी भूमि को कब्ज़े/अधिग्रहण में लेने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल प्रदान करें । 5. क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रबंधक, पेंच क्षेत्र 6.भूमि एवं राजस्व विभाग, पेंच क्षेत्र. परासिया । 7.प्रबंधक कार्मिक/प्रशासन पेंच क्षेत्र. परासिया 8.श्री अंकित सल्लाम, ब्लाक मेडिकल ऑफिसर,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र- परासिया

**सम्पदा अधिकारी**
**न्यूटन इकलेहरा उपक्षेत्र**

बैठक — तैयारियों को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक

# उमरेठ में होगा विशाल किसान आंदोलन

**नवभारत न्यूज**
**छिंदवाड़ा, 5 जनवरी, कांग्रेस जल्द ही किसान हित में पुनः विशाल आंदोलन करने जा रही है। केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार तक किसानों की समस्याओं को पहुंचाने और उनके निराकरण की मांग कांग्रेस सतत रूप से कर रही। किसान भाइयों की मक्का उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने, बिजली आपूर्ति में सुधार करने व खाद की सुलभ उपलब्धता सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन सतत रूप से जारी है।**

परासिया विधानसभा क्षेत्र के उमरेठ ब्लॉक में आयोजित होने वाले विशाल किसान आंदोलन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उमरेठ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन की रूपरेखा ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिधियों ने आंदोलन को लेकर सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी है यह बात साफ हो चुकी है, इसीलिये मक्का को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही। परासिया विधायक श्री सोहन वाल्मीकी ने कहा कि सरकार ने किसानों से झूठ बोला, पहले कहा 2400 रुपए प्रति क्विंटल से मक्का की खरीदी करने की घोषणा की, किन्तु आज तक इस मूल्य पर खरीदी नहीं की। सरकार को उनके वादे और इरादों से अवगत कराने हेतु आंदोलन करना नितांत आवश्यक है। उमरेठ में आयोजित बैठक में किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह, इन्द्रपाल पटेल, मानक बेलवंशी, गोविंद पटेल, प्रदीप राय, प्रमोद सूर्यवंशी, किशोर उइके, हर्षित चौरसिया, आरिफ कादरी, रोशन धुर्वे, माखन धुर्वे, राजू चन्द्रवंशी, केशव कावले, सुनील चन्द्रवंशी, द्वारका वंशकार, सुरेन्द्र नागवंशी, जयपाल धुर्वे, टिंकू साहू, सुधा राजपूत, गुंजन आम्रवंशी, चैतू बेलवंशी, उत्कर्ष वालमीकी, प्रदूम्न साहू, गोविंद प्रजापति, आरिफ अली, शंकर धुर्वे व सुरेन्द्र सातनकर सहित बड़ी संख्या में उमरेठ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।